

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
संख्या-२४७१३२

5896
संख्या-ई.स./जी.एस.
दिनांक 17.11.2008

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

कुलासचिव,
वीनवचाल उपध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

आपके पत्र संख्या-६४०२-०३/सम्बद्धता/२००४ दिनांक ११.१०.२००४ मुझे आपसे यह कहने का निवेदन हुआ कि महाभारत कुलाधिपति पक्षीय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के प्रावधानों के अधीन किसान डिग्री कालेज पैकलेली, हाटा, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, भूगोल, दर्शनशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास विषयों में स्वयंसेवित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/संतर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित विशद-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र० १८-ए, न्यस्य मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्राचार्य किसान डिग्री कालेज पैकलेली, हाटा, कुशीनगर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव